संख्या–1626/69–1–2018–54(मु0अ0–37)/2018टीसी

प्रेषक,

अनुराग यादव,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

लखनऊः दिनांक 04 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2018

विषयः मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग रोड व नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधा हेतु अनुदान संख्या–37/83 के अधीन परियोजना प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–117/2017/1279/69–1–17–14(31)/2012टीसी दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. उपर्युक्त शासनादेश के अनुपालन के सम्बन्ध में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि योजनान्तर्गत प्रायः उन परियोजनाओं के भी प्रस्ताव सूडा/शासन को प्रेषित किये जाते हैं, जो जनपद स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित नहीं होती हैं तथा आगणन का गठन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–ई–8–1210–दस/2008 दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप किया गया है, से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र भी प्रस्तावों के साथ उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिसके कारण वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने में कठिनाई अथवा विलम्ब होता है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया योजनान्तर्गत प्रस्तावों को प्रेषित करते समय अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि परियोजनायें जनपद स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित हैं एवं आगणन का गठन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–ई–8–1210–दस/2008 दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप किया गया है तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।

भवदीय

(अनुराग यादव)
सचिव।

संख्या–1626(1)/69–1–2018

प्रतिलिपि निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(मनिराम सिंह)
संयुक्त सचिव।